Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

काम का अधिकार एवम भारत सरकार की योजनाएं एवं अधिनियम : एक विवेचना

शिव प्रताप यादव*

शोधछात्र, राजनीति एवं लोकप्रशासन विभाग, डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ०प्र०)

सार : ***प्राचीन भारत के कानून-दाता मनु ने आदेश दिया कि राजा को अपने सभी विषयों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि धरती सभी प्राणियों के लिए भेदभाव के बिना कार्य करती है। महाकाव्य महाभारत का उल्लेख है कि राजा को अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करके अक्षम, असहाय, अनाथ, विधवाओं, आपदाओं के पीड़ितों और गर्भवती महिलाओं के कल्याण की देखभाल करनी चाहिए।***

भारतीय इतिहास की मध्ययुगीन काल के सबसे महान अर्थशास्त्री कौटिल्य ने कहा, "उनके विषयों की खुशी में राजा की खुशी है, उनके कल्याण में उनके कल्याण में ..." महात्मा गांधी ने काम को सही से कर्तव्य के रूप में देखा।

मुख्य शब्द : ***काम का अधिकार, मनरेगा***

----------X----------

परिचय

काम करने का अधिकार अन्य बुनियादी अधिकारों से निकटता से संबंधित है जैसे कि जीवन का अधिकार, भोजन का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ऐसे देश में जहां लाखों लोग श्रम शक्ति के अलावा किसी भी आर्थिक संपत्ति से वंचित हैं, इन अधिकारों को पूरा करने के लिए लाभकारी रोजगार आवश्यक है। दरअसल, बेरोजगारी भारत में व्यापक गरीबी और भूख का मुख्य कारण है। काम करने का अधिकार बताता है कि हर किसी को मूल जीवित मजदूरी के लिए काम करने का मौका दिया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय कानून

कार्य का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है जिसे लेख 232 और 243 में समझाया गया है

1. मानव की सार्वभौमिक घोषणा की
2. हर किसी को सिर्फ काम करने के लिए, रोजगार की पसंद मुक्त करने का अधिकार है काम की अनुकूल स्थितियों और बेरोजगारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए।
3. हर कोई, बिना किसी अपराध के, बराबर वेतन का अधिकार है
4. जो लोग काम करते हैं उन्हें सिर्फ पारिवारिक पारिश्रमिक का अधिकार है अपने और अपने परिवार को मानव गरिमा के योग्य अस्तित्व के लिए सुनिश्चित करना, और यदि आवश्यक हो, तो सामाजिक सुरक्षा के अन्य माध्यमों द्वारा पूरक अधिकार है ।
5. हर किसी को अपने हितों की सुरक्षा के लिए ट्रेड यूनियनों में शामिल होने और शामिल करने का अधिकार है।

हर किसी को सिर्फ काम करने का अधिकार है, रोजगार में मुफ्त विकल्प और अनुकूल स्थितियों का अधिकार है। हर किसी को बेरोजगारी के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के काम के बराबर वेतन पाने का अधिकार है। विशेष रूप से महिलाओं को काम की शर्तों की गारंटी है जो पुरुषों द्वारा आनंदित लोगों से कम नहीं हैं। काम करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा इस अधिकार के पूर्ण अहसास की उपलब्धि के लिए किए जाने वाले कदमों पर जोर

www.ignited.in

देता है और तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी शामिल है स्थिर आर्थिक, सामाजिक प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम, नीतियां और तकनीकें और सांस्कृतिक विकास और पूर्ण और उत्पादक रोजगार के तहत मौलिक राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली स्थितियां व्यक्तिगत है । इसमें सुरक्षित और स्वस्थ काम करने की स्थितियां भी शामिल हैं, अवकाश और कामकाजी घंटों और आवधिक छुट्टियों की उचित सीमा वेतन के साथ-साथ सार्वजनिक छुट्टियों के लिए पारिश्रमिक और फॉर्म का अधिकार और अपनी हितों की सुरक्षा के लिए ट्रेड यूनियनों में शामिल होने का अधिकार है।

भारतीय सन्दर्भ :

भारतीय संविधान को "निर्देश" के तहत काम करने का अधिकार है राज्य नीति के सिद्धांत "। अनुच्छेद 39 राज्य को यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि "नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, पर्याप्त साधनों का अधिकार है आजीविका ", और यह कि" पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के बराबर वेतन है। "आगे, अनुच्छेद 41 जोर देता है कि" राज्य, सीमा के भीतर होगा इसकी आर्थिक क्षमता और विकास के लिए प्रभावी प्रावधान काम करने के अधिकार सुरक्षित करें "

भारत सरकार की योजनाये:

1. 18-40 साल के आयु वर्ग के बीच सभी शिक्षित बेरोजगारों के लिए, आम तौर पर, 10 वर्षों के साथ, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग और महिलाओं के लिए छूट।

2. मैट्रिक (उत्तीर्ण या असफल) या आईटीआई पास हो गया है या सरकार के अधीन है। 6 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रम।

3. लाभार्थी के साथ लाभार्थी की आय और लाभार्थियों के माता-पिता की आय कम से कम 3 वर्षों तक क्षेत्र के स्थायी निवासी 40000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्थान / सहकारी बैंक के लिए डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

5. इसके अलावा, अन्य सब्सिडी वाली सरकारी योजनाओं के तहत पहले से ही सहायता प्राप्त व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा।

6. आयुषमान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन

7. हरित क्रांति-कृष्णनाथि योजना

8. पहला "खेलो इंडिया स्कूल गेम्स"

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

मनरेगा एक नौकरी गारंटी योजना है, जिस पर कानून द्वारा अधिनियमित किया गया है। 25 अगस्त, 2005. यह योजना हर वित्तीय वर्ष में एक सौ दिन के रोज़गार के लिए किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को सार्वजनिक कार्य-संबंधित अकुशल मैन्युअल कार्य करने के इच्छुक है, जो प्रति दिन 100 रुपये की वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर कानूनी गारंटी प्रदान करती है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार का खर्च रु। वित्त वर्ष 2009 -10 में 39,100 करोड़ ($8 बिलियन)।

यह अधिनियम ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को अर्ध या गैर-कुशल काम प्रदान करके ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार के उद्देश्य से पेश किया गया था, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या नहीं। निर्धारित कार्य बल का लगभग एक-तिहाई महिलाएं हैं।

सरकार योजना बना रही है। एक कॉल सेंटर खोलने के लिए, जो परिचालन बनने पर टोल फ्री नंबर, 1800-345-22-44 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को एक ही मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसके शुरू होने पर शुल्क मुक्त नंबर 1800-345-22-44 पर संपर्क

www.ignited.in

किया जा सकता है।शुरू में इसे *राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA)* कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है

योजना

यह अधिनियम, राज्य सरकारों को "मनरेगा योजनाओं" को लागू करने के निर्देश देता है। मनरेगा के तहत, केन्द्र सरकार मजदूरी की लागत, माल की लागत का 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत वहन करती है। राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता, माल की लागत का 1/4 और राज्य परिषद की प्रशासनिक लागत को वहन करती है। चूंकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं, उन्हें श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारी प्रोत्साहन दिया जाता है।

हालांकि, बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना राज्य सरकार पर निर्भर है, जो इस शर्त के अधीन है कि यह पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के ¼ भाग से कम ना हो और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का 1/2 से कम ना हो। प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार (या बेरोजगारी भत्ता) सक्षम और इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रक्रिया

ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं। जांच के बाद पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में, पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति, या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से काम करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएगा।

इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. जाटव, डी. आर.: 'सामाजिक न्याय का सिद्धांत', समता साहित्य सदन, जयपुर, 1993, पृ. स. 14 वहीं पृ. स. 28

2. मालवीय, चिन्तामणि: 'सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन डॉ. अम्बेडकर के विशेष सन्दर्भ में', अम्बेडकर विमर् और परिवर्तन, विक्रम वि., उज्जैन, 1998, पृ. स. 92 4. वहीं, पृ. स. 93

3. हार्नर, ओ.पी.: सोशल जस्टिस', उद्धरत ओ.पी. गाबा पुस्तक, दरियागंज, नई दिल्ली, 1983, पृ. 3

4. जौहरी, जे. सी.,सीमा: 'आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत', पृ. स. 192

5. वोटोमोर, टी.वी.: 'क्लास इन सोसायटी', लन्दन जार्ज एण्ड़ अनविन, 1965 पृ. स. 11

Corresponding Author

शिव प्रताप यादव*

शोधछात्र, राजनीति एवं लोकप्रशासन विभाग, डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ (उ०प्र०)

www.ignited.in